भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1950

31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी अवसंरचना के लिए निधि

†1950. **श्री तनुज पुनियाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की भावी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक के साथ संपर्क स्थापित करने का विचार है**;** और

(ख) सरकार द्वारा मुंबई में धारावी मलीन बस्ती पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों और सामुदायिक चिंताओं के समाधान हेतु उठाए गए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में 'शहरों को विकास केंद्र', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ) स्थापित करने की घोषणा की है। बजट घोषणा के अनुसार, , इस शर्त के साथ कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से वित्तपोषित किया जाए, इस कोष से बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक सहित बैंक और वित्तीय संस्थान परियोजनाओं को शुरू करने में राज्य/शहरों के साथ साझेदारी कर सकते हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अनुसार, भूमि राज्य का विषय है। इसके अतिरिक्त, संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार शहरी

नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने 2023-24 और 2024-25 के दौरान पूंजी निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) (शहरी नियोजन सुधार) लागू की, जिसके तहत राज्यों को नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) और भूमि पूलिंग योजनाओं (एलपीएस) के कार्यान्वयन सहित विभिन्न शहरी सुधारों के लिए प्रोत्साहित किया गया था। योजना के टीपीएस/एलपीएस सुधार घटक को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। 15 राज्यों में 81 एलपीएस/टीपीएस योजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

*****